



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26052022-236038
CG-DL-E-26052022-236038

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2265]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 26, 2022/ज्येष्ठ 5, 1944

No. 2265]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 26, 2022/JYAISHTHA 5, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2022

का.आ. 2386(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, हरियाणा राज्य में मैसर्स गेल (इण्डिया) लिमिटेड की चैनसा - झज्जर - हिसार नेचुरल गैस पाइपलाइन के सुल्तानपुर - झज्जर - हिसार पाइपलाइन खंड के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत श्री राज कुमार, जिला राजस्व अधिकारी, भिवानी, हरियाणा सरकार को, अतिरिक्त कार्यभार आधार पर, सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. हरियाणा राज्य में मैसर्स गेल (इण्डिया) लिमिटेड के लिए दिनांक 20.02.2018 को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 16.02.2018 की अधिसूचना संख्या सां.आ. 740(अ) द्वारा पूर्व में अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी, श्री बलराज सिंह, जिला राजस्व अधिकारी, हरियाणा सरकार को निरस्त किया जाता है।

3. यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एल-14014/86/2017-जीपी-II (ई-43031)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th May, 2022

S.O. 2386(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Shri Raj Kumar, District Revenue Officer, Bhiwani, Government of Haryana to perform the functions of Competent Authority under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, on additional charge basis for Sultanpur – Jhajjar – Hisar Pipeline Section of Chainsa – Jhajjar - Hisar Natural Gas Pipeline of M/s. GAIL (India) Limited in the State of Haryana.

2. Earlier notified Competent Authority for M/s. GAIL (India) Limited in the State of Haryana, Shri Balraj Singh, District Revenue Officer, Government of Haryana, vide S.O. 740(E) dated 16.02.2018 published in the Extraordinary Gazette of India dated 20.02.2018 stands de-notified.

3. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/86/2017-GP-II (E-43031)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.